

आज का विचार

विशेष परिस्थिति में छूट के प्रावधान अथवा प्रक्रिया की आड़ में इतना समय नहीं निकाल लिया जाय कि कार्यकाल की तय समय सीमा का ही उल्लंघन होने लग जाय।

(शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक

लोकजीवन

तय समय सीमा में पंचायत चुनाव हो ...

संविधान संशोधन के बाद से देशभर में पंचायत राज व स्थानीय निकायों के चुनाव तय समय सीमा 5 साल पूरे होते ही करवाये जाने की बाध्यता है अर्थात् चुनावों को टाला नहीं जा सकता। जबकि प्रदेश की सरकार एक प्रदेश एक चुनाव की घोषणा पर अमल करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं व स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ करवाये जाने की कसरत कर रहा है और परिसीमन का कार्य पूरा करके वर्षान्त चुनाव करवाने की इच्छा व्यक्त की जाती रही है। पंचायत राज की जिन इकाईयों का कार्यकाल पूरा हो चुका उनमें सरपंचों को ही तथा जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका उनके अध्यक्षों को ही प्रशासक का जिम्मा सौंप कर अस्थाई रूप से उनका काम काज संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार चुनाव की संभावना के दौरान जिन पंचायतों अथवा निकायों का कार्यकाल शेष रहेगा उनके समयपूर्व चुनाव करवाने की वैधानिकता पर अध्ययन किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि निकायों के चुनाव इस वर्ष के अंत में एक साथ करवा लिए जाय। ताकि अलग-अलग चरणों में होने वाले चुनावों के झंझट से मुक्ति मिले और प्रदेशभर में एक ही साथ चुनाव होने से भविष्य में उनका कार्यकाल एक साथ ही पूरा होगा। परिसीमन और पुनर्भरण का कार्य पूरा होने के बाद ही इन निकायों के चुनाव सम्पन्न करावे जा सकेंगे। चूंकि अदालती हस्तक्षेप के बाद आशा की जा सकती है कि सरकार तय समय सीमा में चुनाव सम्पन्न करवा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेगी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों में चुनाव से जुड़े मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार परिसीमन के नाम पर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव अनिश्चित काल तक नहीं टाल सकती। चुनाव टालने के मामले में तल्लख टिप्पणी की कि चुनाव के लिए समय सीमा तय होने के बावजूद उसकी पालना नहीं करना संविधान के उल्लंघन का प्रत्यक्ष उदाहरण है यदि सरकार चुनाव नहीं करवाये तो राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह लोकतांत्रिक स्थानीय शासन की बहाली के लिए दखल करें। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि परिसीमन प्रक्रिया समय पर पूरी हो ताकि समय पर चुनाव करवाये जा सके। जहां पंचायत भंग होती है वहां आदर्शन रूप से 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए। चुनाव नहीं होने से स्थानीय शासन में रिक्तता आती है। जिसका सेवा प्रदाताओं पर असर होता है कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द चुनाव कराएगी। कोर्ट ने बिना प्रक्रिया अपनाये निर्लंबित पंचायत प्रशासकों को बहाल कर दिया। वहीं कानूनी प्रक्रिया अपना कर पुनः कार्यवाही की छूट दी। आज आवश्यकता इस बात की है कि निकायों का कार्यकाल पूरा होने के साथ परिसीमन प्रक्रिया में तेजी लाकर समय सीमा में चुनाव करवा कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की जाये।

कड़वी घूंट

-सूरज

ये सरकार हमेशा नहीं ...

यह लोकतंत्र की कड़वी सच्चाई है कि सरकारें आती जाती रहती है यह मतदाता के हाथ है कि किस दल को सत्ता सौंपे और किस दल को विपक्षी दल का दायित्व दें अर्थात् पार्टियां भी जानती है कि जो जनता सिर आंखों पर बिठाती है वहीं जनता सड़क पर उतारने में भी देर नहीं करती। इसलिए अपनी रीति-नीति को समय-समय पर परखते भी रहे, जनता की नजर से उतर गये तो सिंहासन से उतरने में भी देर नहीं लगती।

विपरीत इसके विपक्ष को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भी जनता के दरबार में ही जाना पड़ता है वह जितना ही जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की पहल करेगा। जनता का सहयोग समर्थन भी मिलने लगेगा। यहीं कारण है कि विपक्षी दल आक्रामक नीति के साथ अधिकारी वर्ग को धमकाने में भी पीछे नहीं रहते।

हां इन दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग और आयुक्तों को निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने आयोग से कहा थोड़ा वक्त दो पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगेगा। तीनों इलेक्शन कमिशनर सुन ले। अभी मोदी सरकार है। एक दिन बिहार और देश में इंडिया गठबंधन की सरकारी होगी। फिर आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। संविधान पर हमला करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। अब यह आप जानो कि यह धमकी चुनाव आयुक्तों को डराने के लिए दी जा रही है अथवा सत्ता में आने की संभावना कहीं दिखने लगी है कि ये सरकार जाएगी हमारे सरकार आएगी।

सटोरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: इलेक्ट्रॉनिक चकरी, ताश पत्तों से सट्टा खेलते 24 गिरफ्तार

57 हजार की राशि बरामद, 6 मोटरसाइकिलें जब्त



लोकजीवन न्यूज सर्विस, बिजयनगर

जिला स्पेशल पुलिस टीम व जिला स्पेशल टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बिजयनगर पुलिस टीम के त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 सटोरियों को गिरफ्तार कर कुल 57 हजार 510 सट्टा राशि, 6 मोटरसाइकिल, 200 सट्टा पत्ती, 2 मोबाइल, व जुआ सामग्री जब्त करने में सफलता पाई। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिला स्पेशल टीम व अधीक्षक कार्यालय टीम को मुखबिर की सूचना मिली की विजयनगर में बड़ा सट्टा का कारोबार चल रहा है। सूचना पुष्टा होने पर जिला पुलिस स्पेशल टीम, अधीक्षक कार्यालय टीम व बिजयनगर थानाधिकारी मय टीम के त्वरित कार्रवाई करते हुए पुराने बस

स्टैंड पर डोली सिंधी की दुकान पर कार्रवाई करते हुए पाया कि काफी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे थे। दुकान के अंदर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक चकरी जिस पर अलग-अलग अंक दर्शाए गए मशीन, पोस्टर, ताश की गड़िया, सट्टा पत्तीयां, ताश के पत्ते व जुआ राशि रखी हुई थी टेबल पर चारों तरफ खड़े व बैठे पाए गए। पुलिस ने 24 सटोरियों को गिरफ्तार कर तलाशी ली गई तो उनके पास से 57510 सट्टा राशि, 6 मोटरसाइकिल, 200 सट्टा पत्ती, 2 मोबाइल फोन व जुआ सामग्री जब्त की। पुलिस ने 24 सटोरियों तारों का खेड़ा बिजयनगर निवासी शेरू बैरवा (42), इंद्रा कालोनी निवासी जाकिर हुसैन (30), अजमेर खानपुरा



निवासी शकील अहमद (57), ग्राम सथाना निवासी हनीफ (37), तारों का खेड़ा निवासी नौरतमल (53), ग्राम कानिया निवासी शंकरलाल (52), सिद्धार्थ कालोनी निवासी छोटलाल (62), राजनगर निवासी तुराव (68), इंद्रा कालोनी निवासी मुन्ना (48), शास्त्री कालोनी निवासी बृजेश, राजनगर निवासी काना (32), इंद्रा कालोनी निवासी गजराज (30), तारों का खेड़ा निवासी नाथू (52), सतकुडिया निवासी लाडू (32), ग्राम टांटीटी आरिफ, जोधपुर सूतला निवासी मयूर (32), विक्रम (37), बस स्टैंड निवासी रमेश (23), नाडी मोहल्ला निवासी मुकेश (38), तारों का खेड़ा निवासी नरेश

(35), हुरडा निवासी कमलेश (32), रेल्वे फाटक निवासी चंदन (37), शिखरानी ग्राम निवासी किशन (26), लोडियाणा निवासी हंगामीलाल (55) को गिरफ्तार किया।

ये थे टीम में शामिल

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम था ना प्रभारी करणसिंह खंगारोत, जिला स्पेशल टीम ब्यावर रामजस, जिला स्पेशल टीम ब्यावर भूपेंद्र सिंह हैड कांस्टेबल, ब्यावर कार्यालय अधीक्षक हैड कांस्टेबल कमलकिशोर, जिला साइबर सेल ब्यावर के कांस्टेबल मांगीलाल, जिला स्पेशल पुलिस टीम भवानी सिंह व सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कांस्टेबल ईश्वर व धवल शामिल थे।

सेन मंदिर निर्माण के लिए प्रदान की सहयोग राशि



लोकजीवन न्यूज सर्विस, बिजयनगर

सेन समाज के समाजसेवी प्रेमचंद सेन ने आसींद में निर्माणाधीन सेन मंदिर हेतु एक लाख राशि का सहायतार्थ चेक मंदिर कमिटी को सौंपा। आसींद बदनोर क्षेत्र सेन मंदिर समिति के सदस्यों पूर्व उपजिला प्रमुख रामचंद्र सेन, कमलेश सेन, नंदलाल सेन, राधेश्याम सेन,

कन्हैयालाल सेन को सौंपने पर समाजसेवी प्रेमचंद सेन का माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान सेन समाज के संपतलाल सेन, सत्यनारायण सेन, महावीर प्रसाद सेन, अंशु कुमार सेन सहित अन्य समाज बंधु भी उपस्थित थे।

आंगनबाड़ी की टपकने लगी छत, हादसे का अंदेशा



लोकजीवन न्यूज सर्विस, गंगालास

ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की छत मानसून की हर बारिश में टपकने लगी, छत टपकने के चलते फर्स गीली हो जाती है, जिस पर बच्चों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बैठना मुश्किल हो रहा है, छत के टपकने से वहां रखा सामान भी गिला हो रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन्दिरा शर्मा व सहायिका लाड़ देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र का पुरा भवन जर्जर हो चुका है, मानसून की हर बारिश में आंगनबाड़ी केंद्र की छत टपकने लगी है, जिसे वहां रखा वह सामान

तथा पोषाहार गीला हो चुका है, वही बारिश के समय में बच्चों का वहां बैठना भी मुश्किल होता है, हर वक्त जर्जर भवन से हादसा होने का अंदेशा बना रहता है, 10 साल से लगातार लिखित में विभाग व जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र में 30 बच्चे आते हैं। ग्रामीण सुरेश चंद्र गुर्जर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र की छत मानसून की हर बारिश में ही टपकने लगी तो अभी पूरा मानसून निकालना बाकी है, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक: नियमन / FY2025-26/Mut-1862

आम सूचना

एतद् द्वारा श्रीमति सलमा खान पत्नी श्री अब्दुल गफ्फार खान द्वारा राजस्व ग्राम भीलवाड़ा की आराजी सं. 2538, 2544 गैर योजना में भूखण्ड संख्या 46 (सर्वे अनुसार भू.सं. एच-695, एच-711) साईज 44X80=391.11 वर्गज का नियमन उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.), भीलवाड़ा द्वारा किया गया था।

भूखण्डधारी द्वारा उक्त भूखण्ड नारायण अग्रवाल एण्ड सन्स एच.यू.एफ. कर्ता नारायण अग्रवाल पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल को पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया एवं इनके द्वारा श्री जोधराज पोद्दार पुत्र स्व. श्री झारमल पोद्दार, श्रीमति सरोज पोद्दार पत्नी श्री सुरेश पोद्दार को पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया एवं उक्त क्रेताओं में से श्री जोधराज पोद्दार की मृत्यु हो जाने से उक्त भूखण्ड का नामान्तरण अन्य भूखण्डधारी श्रीमति सरोज पोद्दार के पक्ष में किया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड के समीप भू-पट्टी स्थित होने से साईज 20X44=97.77 वर्गज भू-पट्टी आवंटित की गई। तत्पश्चात् भूखण्डधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का उप विभाजन किया गया। नामान्तरणधारी द्वारा उप विभाजन अनुसार भूखण्ड संख्या H-695, H-711/1 साईज 44X50 = 244.44 को श्री मनीष कुमार बाहेली पुत्र श्री श्याम सुन्दर बाहेली को पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया गया है। श्री मनीष कुमार बाहेली पुत्र श्री श्याम सुन्दर बाहेली के द्वारा उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत यदि किसी भी व्यक्ति या संबंधित को कोई उज्र / एतराज / आपत्ति हो तो विज्ञापन दिनांक से सात दिवस में अपनी आपत्ति मय सबूत/ दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद यदि किसी व्यक्ति या संबंधित द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो स्वीकार नहीं की जावेगी तथा भूखण्ड का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में निर्विवाद मानते हुए कर दिया जावेगा तथा न्यास बाद में होने वाले किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

कार्यालय नगर पालिका गंगापूर जिला-भीलवाड़ा (राज0)

E-mail ID - NPGANGAPUR@GMAIL.COM Ph. No. 01481-220025. Fax No. 01481-220030

क्रमांक: न0पाग0 / र0टे0 राशा / 2025-26 / 1730 दिनांक :- 18.08.2025

-:: निविदा सूचना संख्या SPPP-13/2025-26 ::-

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका गंगापूर द्वारा निम्नांकित कार्य करवाये जाने बाबत प्रकीर्ण लेकेंदारी से मुहूर्तन निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। कार्य का निविदा प्रपत्र दिनांक 18.08.2025 से दिनांक 26.08.2025 तक विक्रेत की जाकर निविदा दिन का 26.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्राप्त की जाकर उर्वर दिनांक 3.00 बजे से खोले जायेंगी। उक्त निविदा [HTTP://SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN](http://SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN) पर भी देखी जा सकती है। अन्य जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

NIB CODE : DLB2526A4796

W.NO.	UBN NO.
1	DLB2526SSRC14875

अधिसारी अधिकारी
नगरपालिका गंगापूर

राज.सं.वार / सी / 26 / 8402

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आडिटोरी नंबर (सीआइएन) : L24302RJ1990PLC005560
पंजीकृत कार्यालय- 11-12TH, कि.मी. स्टेशन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवागरी, भीलवाड़ा - 311025 (राजस्थान), इंडिया,
वेबसाइट:- www.ranjanpolysters.com
फोन: 01482-297133, ई-मेल: ranjanpoly@gmail.com

शेयर धारकों के लिए सूचना

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने के लिए विशेष विंडो

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि, सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भौतिक शेयरों के हस्तांतरण को पुनः जमा करने के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। यह 01 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए उन हस्तांतरण विलेखों पर लागू होता है जिन्हें दस्तावेजों में कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया, वापस कर दिया गया, या अप्राप्य छोड़ दिया गया। पुनः जमा करने की यह विंडो 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी, और ऐसे सभी हस्तांतरण केवल डीमैट मोड में ही संसाधित किए जाएंगे।

योग्य शेयरधारक जो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर आगे की सहायता के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंशियल और कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 'बीटल हाउस' तीसरी मंजिल, 99 मदनगिर, बीएच - लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दादा हरसुखदास मंदिर के समीप, न्यू दिल्ली - 110062, ईमेल आईडी: beetal@beetalfinancial.com, दूरभाष संख्या- +01129961281 या कंपनी से ranjanpoly@gmail.com पर संपर्क करें।

हस्तांतरित शेयर केवल तभी डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे जब आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाएंगे। हालांकि, ऐसे हस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जनवरी, 2026 के बाद प्रस्तुत किए गए हस्तांतरण अनुरोध कंपनी/आरटीए द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोट: सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें।

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड के द्वारा
चित्रा नराणीवाल
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : 20 अगस्त 2025
स्थान- भीलवाड़ा

ATTENTION SHAREHOLDERS

Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Notice is hereby given to Shareholders that in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, a Special Window has been opened for a period of six months, from 7th July, 2025 to 6th January, 2026, to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.

This facility is available for transfer deeds that were lodged prior to 1st April, 2019, but were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

All transfer requests duly rectified and re-lodged during the aforesaid period will be processed through the transfer-cum-demat mode, i.e., the shares will be issued only in dematerialized form after transfer. The lodger(s) must have a demat account and provide the Client Master List (CML) along with the transfer documents, share certificate(s) and other necessary document(s) while lodging the documents for transfer with our RTA.

Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e., M/s. Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, BH- Local Shopping Complex, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062, Tel No. Tel: +91 01129961281 OR contact the Company at ranjanpoly@gmail.com for further assistance.

Eligible shareholders are requested to submit their transfer requests duly complete in all respects on or before the SEBI deadline of 6th January, 2026.

For Ranjan Polysters Limited

Chitra Naraniwal
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI Membership No. ACS 44750

Date: 20.08.2025
Place: Bhilwara

CIRCULAR

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97

July 02, 2025

To,

All Registered Registrar & Share Transfer Agents (RTA)

All Recognised Stock Exchanges

All Listed Companies (through Stock Exchanges)

Madam / Sir,

Sub: Ease of Doing Investment – Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

1. Transfer of securities in physical mode was discontinued with effect from April 01, 2019. Subsequently, it was clarified that transfer deeds lodged prior to deadline of April 01, 2019 and rejected/returned due to deficiency in the documents may be re-lodged with requisite documents. It was further decided to fix March 31, 2021 as the cut-off date for re-lodgement of transfer deeds.
2. SEBI received representation from investors as well as RTAs and listed companies that some of the investors had missed the timelines for re-lodging their documents for transfer of securities. This issue was discussed in a Panel of Experts which included RTAs, listed companies and Legal Expert. Based on discussion, the Panel recommended that to alleviate the issue faced by the investors that missed the March 31, 2021 deadline for re-lodgement, one more opportunity may be granted for them to re-lodge such shares for transfer.
3. Thus, in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, it has been decided to open a special window only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended to

due to deficiency in the documents/process/or otherwise, for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026.

4. During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.
5. Listed companies, RTAs and Stock Exchanges shall publicize the opening of this special window through various media including print and social media, on a bi-monthly basis during the six-month period.
6. RTAs/listed companies shall have focussed teams to attend to such requests.
7. RTAs/listed companies shall provide reports on:
 - 7.1 publicity; and
 - 7.2 shares re-lodged for transfer cum demat in the format specified by SEBI (provided at Annexure-A) on monthly basis.
8. This circular is being issued in exercise of powers conferred under Section 11 (1) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with regulation 102 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 to protect the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate the securities market.
9. This circular is available on SEBI website at www.sebi.gov.in under the category: 'Legal → Circulars'.

Yours faithfully,
Sanjukta Mahala
Deputy General Manager
Tel. No. 022-26449288
E-mail: sanjuktam@sebi.gov.in

Annexure-A

No. of requests received during the month	No. of requests processed during the month	No. of requests approved	No. of requests rejected	Average time taken for processing of requests (in days)